P-1 R.M.M Law College – Saharsa.
Manvendra Mandal — Subject – Contra – II
part time Lecturer — part – II

अभिकर्ता के प्रकार (Kinds of Agent)

विधि के अनुसार अभिकर्ता तीन प्रकार के होते हैं
(I) विशिष्ट (II) सामान्य एवं (III) सार्वभौम

(1) विशिष्ट अभिकर्ता (Special Agent) → वह है जो कार्य विशेष या संव्यवहार विशेष में मालिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होता है, जैसे - एक मकान का बिक्री कराने के लिए दलाल।

(2) सामान्य अभिकर्ता (General Agent) → जो अपने मालिक के विशिष्ट प्रकार के व्यापार या वाणिज्य से सम्बन्धित कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे - फर्म से सम्बन्धित समस्त कार्यों को करने के लिए अधिकृत उसका प्रबंधक

(3) सार्वभौम अभिकर्ता (Universal Agent) → जो अपने मालिक के समस्त व्यापार से सम्बन्धित संव्यवहारों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

व्यवहार में निम्न प्रकार के अभिकर्ता होते हैं –

(4) उप-अभिकर्ता (Sub-Agent) → ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अभिकर्ता द्वारा नियुक्त एवं उसके नियंत्रण में कार्य करता है।

(5) सह-अभिकर्ता (Co-Agent) → जब मालिक अपने कार्यों को करने के लिए या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही साथ नियुक्त करता है तो पृथक-पृथक या संयुक्तरूपेण उत्तरदायी होते हैं। उन्हें सह-अभिकर्ता कहा जाता है। यदि दोनों Co-agent के कार्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो भी यह समझा जाता है कि उनके प्राधिकार संयुक्त है तथा वे एक दूसरे की सहमति से ही अभिकरण का क्रियान्वयन (Execution) कर सकते हैं, लेकिन प्राधिकार पृथक होने की अवस्था में वे एक दूसरे की सहमति के बिना ही कार्य कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

P-2 अभिकर्ता के प्रकार (Kinds of Agent)

(6) कमीशन एजेन्ट (Commission Agent) → जो मालिक की तरफ से वस्तुओं का क्रय-विक्रय यथासम्भव अच्छी शर्तों पर करता है तथा अपने कार्यों के बदले commission प्राप्त करता है

(7) दलाल (Broker) → यह एक प्रकार का वाणिज्यिक अभिकर्ता होता है जो दो पक्षकारों के मध्य संविदात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है। वह अपने मालिक के लिए वस्तुओं के क्रय या विक्रय करने का अधिकार रखता है। वस्तुओं पर उसका कब्जा नहीं होता है। वह अपने नाम से संविदा नहीं कर सकता है और न तो अपने नाम से वाद ही प्रस्तुत कर सकता है। वह संविदा की शर्तों का उल्लेख करके दोनों पक्षकारों को प्रलेख प्रदत्त करता है जिसे (Note) कहते हैं; जैसे विक्रेता को Sold Note तथा क्रेता को Bought Note। इस प्रकार दलाल का उत्तरदायित्व Form of Note पर आधारित है। स्वामी का नाम उल्लेख नहीं होने की अवस्था में वह Agent के रूप में हस्ताक्षर करता है जिसके लिए वह उत्तरदायी होता है। इस प्रकार दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक सम्बन्ध स्थापित कराने एवं सौदा क्रियान्वित हो जाने पर वह कमीशन प्राप्त करता है।

(8) फैक्टर या आढ़तिया (Factor or Mercantile Agent) → यह एक ऐसा वाणिज्यिक अभिकर्ता है जो स्वामी के वस्तुओं पर कब्जा रख कर उपयुक्त समय एवं मूल्य पर उसके विक्रय का कार्य करता है। वह अपने नाम से वस्तुओं का विक्रय एवं आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है। उसे दलाली प्राप्त करने के लिए वस्तुओं पर सामान्य धारणाधिकार होता है। वह आवश्यकता पड़ने पर स्वामी को वस्तुओं की guarantee पर अग्रिम धन भी दे सकता है क्योंकि माल उसके अधिकार में होता है।

(9) नीलामकर्ता (Auctioneer) → वह व्यक्ति है जो वस्तुओं की नीलामी द्वारा विक्रय करता है, अर्थात मालिक अपनी वस्तुओं को विक्रय करने के लिए उसे नियुक्त करता है जिसके लिए वह पारिश्रमिक पाता है। नीलाम कर्ता दोहरी हैसियत से कार्य करता है। प्रथमदृष्टया वह स्वामी का अभिकर्ता होता है अर्थात ऊँची बोली पर हथौड़ा गिरने के समय तक। नीलाम पूर्ण हो जाने के पश्चात वह क्रेता का अभिकर्ता माना जाता है। इसके पूर्व स्वामी अपने अधिकारों को वापस ले सकता है तथा वह अपने पारिश्रमिक के लिए नीलाम की गई वस्तु पर धारणाधिकार रख सकता है।

Scanned with CamScanner

P-3 अभिकर्ता के प्रकार [Kinds of Agent]

(10) परिशोधी या प्रत्यापक अभिकर्ता [Del-credere Agent]

यह एक व्यापारिक अभिकर्ता है जो अतिरिक्त पारिश्रमिक लेने के कारण परिशोधी अभिकर्ता कहा जाता है। वह अपने मालिक को यह प्रत्याभूति देता है कि तीसरे व्यक्ति जिसके साथ वह स्वामि की तरफ से संविदा में प्रविष्ट हुआ है, उसमें देयक को पूर्ण रूप से देगा तथा तीसरे व्यक्ति द्वारा संविदा का पालन न किये जाने पर वह स्वयं उत्तरदायी होगा, जिसके कारण वह अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है। स्वामी द्वारा मूल्य वसूल न किये जा सकने पर वह प्रत्यापक अभिकर्ता से वसूल कर सकता है। क्रेता के दिवालिया हो जाने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।

परिशोधी या प्रत्यापक अभिकर्ता का दायित्व प्राथमिक न होकर गौण होता है। स्वामी के साथ संविदा करने वाला पक्षकार द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर वह स्वयं उत्तरदायी होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परिशोधी अभिकर्ता के दायित्व की प्रकृति का उल्लेख चम्पाराम बनाम तुलसीराम के वाद में किया है – "परिशोधी या प्रत्यापक अभिकर्ता की विधिक स्थिति अंशत: बीमाकर्ता (Insurer) और अंशत: प्रतिभू की तरह होती है, क्योंकि जिस तीसरे व्यक्ति के साथ वह संविदा करता है उसके द्वारा दायित्व चुकाने में असफल होने पर वह स्वयं जिम्मेदार होता है।" इसी कारण से स्वामि तीसरे व्यक्ति के साथ संविदा करने के लिए उत्सुक होता है। वह मालिक के कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं होता है।

Scanned with CamScanner